UPBG010034962024

न्यायालयः अपर जिला जज/न्यायालय संख्या-01, बागपत।

उपस्थितः पूनम राजपूत, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे० ओ० कोड- यू०पी० 6104

सिविल विविध वाद संख्या- 36/2024

श्रीमती नसीम आदि बनाम विकुल कुमार उर्फ अजय आदि

अन्तर्गत धारा- 5 मियाद अधिनियम

दिनांकः 16.05.2026

1- पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर प्रार्थना पत्र 4(ग)2 आदेश हेतु नियत है जिस पर पक्षकारों को पूर्व में सुना जा चुका है।

2- प्रार्थना पत्र 4(ग)2 अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र 5(ग)2 प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण की ओर से द्वारा अधिवक्ता इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनीगण/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा औपचारिक विपक्षी संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध विपक्षी संख्या 1 की ओर से उसकी दादी द्वारा अपने आपको अव्यस्क विपक्षी संख्या 1 की संरक्षिका/वादमित्र कथित करके मूलवाद संख्या 80/2011 विकुल बनाम सीमा आदि विक्रयपत्र निरस्तीकरण एवम् स्थायी निषेधात्मक आज्ञा हेतु योजित किया हुआ है, जो वर्तमान मे अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन, बागपत में विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा समान सम्पत्ति के संबंध में समान पक्षकारों के विरुद्ध वाद संख्या 98/2016 भी स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया हुआ है। दोनों वाद वर्तमान समय में साक्ष्य में नियत चले आते हैं, जिसमें से वाद संख्या 80/2011 वादी साक्षी से जिरह हेतु नियत है, जबकि वाद संख्या 96/2016 में अभी तक भी कोई मौखिक साक्ष्य हेतु मुख्य परीक्षा शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। दोनों वाद एक ही न्यायालय में विचाराधीन चले आते हैं तथा वाद संख्या 80/2011 के जिरह में नियत होने के पश्चात प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 4 ए सी०पी०सी० कागज संख्या 100 ग के रूप में इन कथनों एवं अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया था कि दोनों वाद समान पक्षकारों के मध्य विचाराधीन हैं, जिनमें समान वाद बिन्दु निर्णीत होने हैं, इसलिए एक समान साक्ष्य से निर्णीत होने हैं। इन परिस्थितियों में साक्ष्य एवं निर्णय की भिन्नता की सम्भावना को देखते हुए एकजई किया जाकर वाद संख्या 80/2011 की पत्रावली को अग्रणी पत्रावली बनाया जावे, लेकिन विचारण न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, द्वितीय बागपत द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को दिनांक 19.01.2024 को सरसरी तौर पर निर्णीत करते हुए खारिज कर दिया गया है। प्रार्थीगण के पूर्व अधिवक्ता श्री यशवीर सिंह कुशवाहा गत तीन वर्ष से अस्वस्थ चल रहे हैं, जिन्हें गुर्दे की तथा घुटनों की बीमारी है, जिस कारण वे न्यायालय में कम आ पाते हैं तथा दिनांक 19.01.2024 के पश्चात से लेकर दिनांक 06.05.2024 तक की तिथियों दिनांक 28.02.2024, 07.03.2024 एवं 07.04.2024 को वे मान्य न्यायालय में नहीं आये, जिस कारण प्रार्थिनीगण को उक्त आदेश दिनांकित 19.01.2024 एवं उसके परिणामों की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 06.05.2024 को प्रार्थीगण का पैरोकार युनुस वादों की पैरोकारी हेतु मान्य न्यायालय में आया था तो उसे उसके पूर्व अधिवक्ता मिले, जिन्होंने पत्रावली पर उक्त आदेश को पढ़कर उसके परिणामों को बताते हुए प्रार्थीगण को उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी योजित करने की विधिक सलाह दी थी। प्रार्थिनीगण ने उन्हें उक्त आदेश की आवश्यक प्रमाणित प्रतिलिपियों वास्ते निगरानी के लिए अनुरोध किया था, जिस पर उनके द्वारा दिनांक 07.05.2024 को प्रतिलिपि हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया तथा उक्त प्रार्थनापत्र के अनुपालन में दिनांक 30.05.2024 को प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार होकर दिनांक 31.05.2024 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो सकी।

Digitally signed by Poonam Rajput
Date: 2026.05.16 17:16:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थिनीगण के पूर्व अधिवक्ता अपनी अस्वस्थता के कारण प्रार्थिनीगण को निगरानी योजित करने से भी इंकार कर दिया था तथा उनके द्वारा कहा गया था कि वे अस्वस्थता के कारण वकालत नहीं कर पा रहे हैं तथा उन्होंने अधिकांश पत्रावलियाँ वापस कर दी हैं, इसलिए आप अन्य किसी अभिवक्ता से अपनी निगरानी योजित कराओ तथा मूलवाद मे भी अन्य अधिवक्ता नियुक्त कर लो, इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण ने दिनांक 31.05.2024 को अपने वर्तमान अधिवक्ता से पत्रावली एवं आदेश दिखाकर निगरानी योजित करने को कहा तो उन्होंने कहा कि अब तो दिनांक 01.06.2024 से दिनांक 30.06.2024 तक ग्रीष्म-कालीन अवकाश है, इसलिए दिनांक 01.07.2024 को निगरानी योजित की जायेगी, इन परिस्थितियों में विलम्ब से निगरानी योजित की जा रही है। निगरानी को योजित करने में जो विलम्ब हुआ है, वह प्रार्थीगण की किसी गलती या लापरवाही से नहीं हुआ है, बल्कि उनके पूर्व अधिवक्ता की अस्वस्थता के कारण नियत तिथियों पर उनके न मिलने के कारण हुआ है। उक्त आदेश से प्रार्थिनीगण की अपूर्णीय क्षति व हकतलफी है, इसलिए प्रार्थिनीगण को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का लाभप्रदान करके निगरानी योजित करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए निगरानी को अंगीकृत करके गुण अवगुण पर निर्णीत किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थिनीगण को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का लाभ प्रदान करके, निगरानी योजित करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए निगरानी को अंगीकृत करके गुण-अवगुण पर निर्णीत करने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।

3- विपक्षी/आपत्तिकर्ता संख्या 01 के द्वारा प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण के उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध **लिखित आपत्ति कागज संख्या 7 ग मय शपथपत्र कागज संख्या 8 ग** योजित करते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।

4- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि निगरानी योजित करने की समयावधि 30 दिन की होती है, परन्तु प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण के पूर्व अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जिन्हें गुर्दे की तथा घुटनों की बीमारी है, जिस कारण उनके पूर्व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.01.2024 की जानकारी नहीं हो सकी और इसी कारण प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण को भी प्रश्नगत आदेश की जानकारी नहीं हो सकी और उनके द्वारा समयावधि के अन्दर निगरानी न्यायालय में नहीं योजित की जा सकी। प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण ने प्रश्नगत आदेश की जानकारी होने के उपरान्त अविलम्ब उक्त निगरानी न्यायालय में योजित की है। प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण के द्वारा जानबूझकर निगरानी योजित करने में कोई लापरवाही नहीं की गयी है, जो भी विलम्ब हुआ है वह उपरोक्त परिस्थितिवश हुआ है। अतः प्रार्थीगण/निगरानीकर्तगाण को धारा 05 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किये जाने की याचना की गयी है। उक्त प्रार्थनापत्र पर विपक्षी/प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अत्यन्त ही देरी से प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में दिन-प्रतिदिन हुए विलम्ब का कोई पर्याप्त एवं समुचित कारण दर्शित नहीं किया है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कारणों के आधार पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।

5- माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **दिल्ली डेवलपमेन्ट अथॉरिटी बनाम जगन सिंह एवं अन्य, 2023, एस०सी०सी०आर० पेज 827, सिविल अपील संख्या-4335/2023** निर्णय दिनांकित 13.07.2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि- *'Over the years, this Court has repeatedly held that a liberal and justice-oriented approach needs to be adopted in the matters of condonation of delay so that the substantive rights of the parties are not defeated only on the ground of delay. The*

power under Section 5 of the Limitation Act, 1963 must be exercised in a very meaningful manner which will serve the ends of justice.'

6- प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण के द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में किये गये कथनों को शपथपत्र से समर्थित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण के द्वारा प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण दिया गया है, वह पर्याप्त प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण को धारा 05 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक विपक्षी/प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा लिये गये इस तर्क का प्रश्न है कि प्रार्थनापत्र विलम्ब से योजित किया गया है, तो उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे के माध्यम से की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4(ग)2 अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण का प्रार्थना पत्र 4(ग)2 अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम **अंकन 1,000/- (एक हजार) रुपये हर्जे** पर स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण को आदेशित किया जाता है कि वे हर्जे की धनराशि नियत तिथि को विपक्षी/प्रत्यर्थी संख्या 01 को अदा करना सुनिश्चित करें। निगरानी को अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु, पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, बागपत को प्रेषित की जाए। पक्षकार माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 02.07.2026 को पेश हों।

दिनांकः 16.05.2026

पूनम राजपूत
अपर जिला जज/
न्यायालय संख्या- 01, बागपत।